

# DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No.: 666839041221010628

Date : 04-12-2021

प्रभावी : चतुर्थ तिमाही 2019-2020

श्री/श्रीमती/सुत्री BANDANA KUMARI W/O RAKESH KUMAR,  
मोहल्ला KRISHNA PURI WILLIANS TOWN DEOGHAR  
DEOGHAR, 814112  
9973927110

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0150001260000M0 वार्ड सं. 15 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	42.00
2.	जल कर	0.00
3.	शीघालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षी जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		42.00



नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION Website, [suda.jharkhand.gov.in](http://suda.jharkhand.gov.in) पर प्रदर्शित है।
2. विद्यमान कोडिका 11.4 के आलेख में वर्षी जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। शिवायत ही जाती है कि, वर्षी जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का शुभतलन त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का शुभतलन वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं बुकया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से संधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एव की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गनत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शारित (Fines) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/शॉपों को कोई कानूनी हेसिबत पदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों/ टखलकर को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये हेसिबत नंबर का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट सरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.